कार्यालय आबकारी आयुक्त,मध्यप्रदेश
मोतीमहल ग्वालियर

क्रमांक 861 ग्वालियर,दिनांक 15-12-04

प्रति,

समस्त सहायक आबकारी आयुक्त/
जिला आबकारी अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय मदिरा दुकानों में 21 वर्ष से कम आयु के युवकों को मदिरा का विक्रय एवं उन्हें मदिरा व्यवसाय में रखा जाना ।

हाल ही में एक दैनिक भास्कर समाचार पत्र में इस आशय का समाचार छपा है कि मदिरा दुकानों से 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चो को मदिरा बेची जाती है तथा नाबालिक बच्चों को मदिरा व्यवसाय में लगाया गया है । इस प्रकार की स्थिति अत्यंत ही क्षोभजनक है । आबकारी अधिनियम की धारा 22 के अनुसार 21 वर्ष से कम उम्र के किसी भी युवक को मदिरा दुकानों में विशेषकर जहां मदिरा परोसी जाती है, रोजगार में नहीं लगाया जा सकता है । आबकारी अधिनियम की ही धारा 23 के अनुसार 21 वर्ष से कम उम्र के किसी व्यक्ति को दुकानदार मदिरा नहीं बेचेगा और न ही उसके माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को मदिरा बेचेगा । आबकारी अधिनियम की धारा 38 में इन अपराधों के लिए संबंधितों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के प्रावधान स्पष्ट किये गये है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रावधान का कियान्वयन नहीं हो रहा है तथा फील्ड के अधिकारियों में इसके प्रति उदासीनता है।

2. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इस सम्बन्ध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें तथा वांछित सतर्कता बरते । समस्त दुकानों में इस आशय की सूचना लिखवाई जाये कि 21 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को मदिरा नहीं बेची जा सकेगी । विक्रय स्थलों तथा आहातों में ऐसी अवैध स्थिति पर कड़ाई से रोक लगाने की व्यवस्था की जावे । रिटेल अनुज्ञप्तिधारकों को पृथक से विशेष हिदायत दी जावे तथा आपके द्वारा जारी निर्देशों एवं की गई कार्यवाही की एक प्रति मुख्यालय को अवश्य भेजें ।

3. इस सम्बन्ध में वैधानिक स्थिति के प्रति जागरूकता लाने हेतु भी विशेष प्रयास किये जावें ।

(प्रेमदयाल मीना) 15/12/04
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

क्रमांक/862 ग्वालियर,दिनांक 15-12-04

प्रतिलिपि :-1. समस्त कलेक्टर्स की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
2. समस्त उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता,मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(प्रेमदयाल मीना) 15/12/04
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश